

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

तेजाराम वगै० बनाम

अशोक कुमार वगै०

क्रिस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 223 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/383


हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

25 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री मुरारी लाल यादव एड. उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थीगण ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण रिकार्डेंड खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1018, 1234/1019, 1235/1019 कुल किता 03 कुल रकबा 2.94 है० राजस्व ग्राम दयाल की नांगल प०ह० दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना का राजस्व रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति बनाए रखें।

उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो।

  
राजेंद्र सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थल।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/9/25 को पेश हो।

31/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थल।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/9/25 को पेश हो।

17/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थल।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/9/25 को पेश हो।

29/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थल।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/11/25 को पेश हो।

27/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थल।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/2/26 को पेश हो।

02/12/25

ने ज्ञात है  
सुखर सिंह  
वकील जयशंकर द्वारा स्वगत विद्वा कलोन  
हेतु अठपत्र मिलत तत्कमी पेश कलोन  
पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व  
आज तत्कम की गई। वकील जयशंकर ने अठ  
पत्र पेश का लिखित किया कि पत्रावली  
के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः  
अठपत्र ही अर्थात् विद्वा फलाने की हवा  
को वकील जयशंकर का अठपत्र आवत  
स्वगत विद्वा कलोन ज्ञापित में हस्ताक्षर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

<p>तारीख हुकम</p>	<p>मुकदमा सं. हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	---	--

का कार्यवाही प्रकण इसी स्तर पर  
 2009 किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल  
 शमाह हेकर नम्बर से कम है तथा  
 वाक तकमिल दाखिल इफ्तार हो। निष्प  
 से इजलास सुनाया गया।

